न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(4)

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–सपोटरा जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन – प्रार्थी

बनाम

1. हरिओमपाल पुत्र रघुवरपाल
2. राजेन्द्रपाल पुत्र रघुवरपाल
3. राममाया बेवा बिहारीपाल (फौत)

सभी जातियान राजपूत निवासीयान मनोहरपुरा, तहसील व जिला करौली – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक–03.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है। अप्रार्थी संख्या 3 लाऔलाद फौत हो चुकी है जिसका दत्तक पुत्र राजेन्द्रपाल पुत्र रघुवरपाल पूर्व से ही रिकॉर्ड पर है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया।

तत्पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी बद्री पुत्र पांच्या मीना निवासी चचेड़ी, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा करौली से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 256634/–रूपये, ब्याज 154260/–रूपये, द0ब्याज 20386/–रूपये कुल राशि 431280/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 278000/–रूपये, ब्याज 375649/–रूपये द0ब्याज 77810/–रूपये, बीमा 9514/–रूपये, वसूली व्यय 3898/–रूपये, नीलामी व्यय 37244/–सहित कुल राशि 782115/–रूपये की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अप्रार्थीगण फौत हो गया है। अब उक्त डिक्री की राशि

जिला कलक्टर
करौली

वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पति ग्राम चचेड़ी, पटवार हल्का महाराजपुरा, तहसील करौली जिला करौली की तत्कालीन आराजी खसरा नं. 103 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 111 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 114 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख.नं. 145/3 रकबा 3 बीघा एवं 145 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 14 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 28.06.2014, 03.03.2014, 10.03.2014, एवं 18.12.201516 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सोसायटी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–सपोटरा के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने निवेदन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. शाखा–हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली की बकाया ऋण राशि दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 278000/–रूपये, ब्याज 375649/–रूपये द0ब्याज 77810/–रूपये, बीमा 9514/–रूपये, वसूली व्यय 3898/–रूपये, नीलामी व्यय 37244/–सहित कुल राशि 782115/–रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 322 रकबा 16 विस्वा ख.नं. 391 रकबा 6 विस्वा ख.नं. 398 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 414 रकबा 18 विस्वा ख.नं. 418 रकबा 1 बीघा ख.नं. 433 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख.नं. 463 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 6 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 3/4 भाग, ख.नं. 446 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा हिस्सा 3/8 भाग, ख.नं. 316 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा हिस्सा पूर्ण, ख.नं. 723 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग, ख.नं. 481 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, ख.नं. 572 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख.नं. 725 रकबा 17 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 विस्वा हिस्सा 3/4, ख.नं. 448 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 484 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 714 रकबा 10 विस्वा ख.नं. 717 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 4 बीघा 16 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग, ख.नं. 459 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग ख.नं. 271 रकबा 2 विस्वा ख.नं. 272 रकबा 1 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिस्वा हिस्सा 9/244 भाग ख.नं. 319 रकबा 4 विस्वा ख.नं. 320 रकबा 1 विस्वा ख.नं. 321 रकबा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 विस्वा हिस्सा 3/260 भाग, ख.नं. 462 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, ख.नं. 497 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/12 भाग, ख.नं. 704 रकबा 10 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 705 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 706 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 713 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 1/8 भाग वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील करौली जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

6

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई अप्रार्थीगण की भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 322 रकबा 16 विस्वा ख.नं. 391 रकबा 6 विस्वा ख.नं. 398 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 414 रकबा 18 विस्वा ख.नं. 418 रकबा 1 बीघा ख.नं. 433 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, ख.नं. 463 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 6 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 3/4 भाग, ख.नं. 446 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा हिस्सा 3/8 भाग, ख.नं. 316 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा हिस्सा पूर्ण, ख.नं. 723 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग, ख.नं. 481 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, ख.नं. 572 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख.नं. 725 रकबा 17 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 विस्वा हिस्सा 3/4, ख.नं. 448 रकबा 15 विस्वा, ख.नं. 484 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 714 रकबा 10 विस्वा ख.नं. 717 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 4 बीघा 16 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग, ख.नं. 459 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा हिस्सा 1/4 भाग ख.नं. 271 रकबा 2 विस्वा ख.नं. 272 रकबा 1 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिस्वा हिस्सा 9/244 भाग ख.नं. 319 रकबा 4 विस्वा ख.नं. 320 रकबा 1 विस्वा ख.नं. 321 रकबा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 विस्वा हिस्सा 3/260 भाग, ख.नं. 462 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, ख.नं. 497 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/12 भाग, ख.नं. 704 रकबा 10 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 705 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 706 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा ख.नं. 713 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 19 विस्वा हिस्सा 1/8 भाग वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील करौली जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि, शाखा करौली के पक्ष में अंतरित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार करौली को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली